न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 86/2025

दायर दिनांकः 06.06.2025

उनवान

विरेन्द्रसिंह पिता मोतीसिंह जाति राजपूत नि. निपानिया सुनार जिला उज्जैन म०प्र०

— प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील पिड़ावा

— अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र धारा 131 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति अभिभाषकगण :—

अभिभाषक प्रार्थी — श्री नीलकमल त्रिवेदी

अप्राथी — पैरोकार सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

आदेश दिनांक : 20.04.2026

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि वाके ग्राम बोलियाबारी पटवार हल्का सरखेड़ी तह० पिड़ावा में वर्तमान खाता संख्या 214 का खसरा नं. 547/308 रकबा 0.5059 है0 आराजी स्थित है जो कि प्रार्थी के खातेदारी में दर्ज है। यह कि प्रार्थी के खाते की आराजी राजस्व नक्शा लठ्ठा अनुसार खसरा नं. 547/308, खसरा नं. 307 के पूर्व दिशा में तरमीम की गई थी लेकिन सेक्रीकेशन के ऑनलाईन नक्शे में प्रार्थी की आराजी खसरा नं. 547/308 का राजस्व नक्शा खसरा नं. 308 की शेष आराजी के पूर्व व खसरा नं. 565/308 के पश्चिम में कर दिया गया है जो गलत होने से शुद्ध होकर सही खसरा नं. 307 के पूर्व में खसरा नं. 482/306 के दक्षिण में तरमीम होने योग्य है। यह कि प्रार्थी के द्वारा खरीदशुदा आराजी खसरा नं. 547/308 रकबा 0.5059 है० का कब्जा काश्त भी मौके पर नक्शा लठ्ठा अनुसार खसरा नं. 482/306 के दक्षिण में व खसरा नं. 307 के पूर्व दिशा में ही है जिसके अनुसार ही ऑनलाईन नक्शे में तरमीम किया जाना आवश्यक है। यह कि प्रार्थना पत्र उचित न्याय

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 14:01:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

(५)

शुल्क पर अवधि मध्य व माननीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि ग्राम बोलियाबारी पटवार हल्का सरखेड़ी तह० पिड़ावा में वर्तमान खाता संख्या 214 का खसरा नं. 547/308 रकबा 0.5059 है० के राजस्व रिकार्ड नक्शे में प्रार्थना पत्र के पैरा नं. 2 के अनुसार संशोधन कर राजस्य नक्शे का पैमाना भी शुद्ध किये जाने करवाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। पैरोकार सरकार एवं अप्रार्थीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। पैरोकार सरकार उपस्थित। पैरोकार सरकार द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि यह कि प्रार्थना पत्र चरण क्रमाक 1 में वर्णित आराजी मुताबिक राजस्व रिकार्ड के अनुसार सही होने से स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र चरण कमाक 2 में वर्णित तथ्य अनुसार ग्राम बोलियाबारी आराजी दिनांक 24.11.1975 को मुल ख०न० 308 से एलॉट हुई है। जिसका एलॉटमेन्ट का नामा० स० 38 दर्ज है। एवं इस मुल ख०न० 308 में से अन्य खसरे 565/308 का रकबा 0.1266 है. हैं 481/308 का रकबा 0.5185 है., 525/308 का रकबा 0.7588 है. है। 488/308 का रकबा 0.6956 है. भी एलॉट हुए है एलॉटमेन्ट के नामान्तकरण में किसी प्रकार का नजरी नक्शा दर्ज नही है। यह कि प्रार्थना पत्र चरण कमाक 3 में वर्णित तथ्य अनुसार ग्राम बोलिया बारी नक्शा लट्ठा में प्रार्थी के ख०न० 547/308 की तरमीम ख०न० 482/306 के दक्षिण में की गयी है। **जो कि अस्पष्ट हैं** वर्तमान ऑनलाईन नक्शे में प्रार्थी के ख०न० 547/308 की तरमीम ख०न० 482/306 के नीचे दक्षिण–पूर्व में हो रही हैं उक्त ख0न0 547/308 का मौका देखा गया मौके पर प्रार्थी ख०न0 482/306 के **ठीक पास दक्षिण दिशा में लगभग 1 बीघा भूमि काश्त** कर रहा है। यह कि प्रार्थना पत्र के चरण कमांक 4 कानुनी हैं जो माननीय न्यायालय से सम्बधित है। अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र में चाहा गया अनुतोष श्रीमान माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी [illegible] द्वारा तय किया जाकर अग्रिम आदेश हेतु अप्रार्थी राजस्व सरकार [illegible] तहसीलदार पिडावा पालनार्थ हेतु तत्पर है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 14:01:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़ (seal)

Scanned with OKEN Scanner

3. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में ग्राम बोलियाबारी की जमाबंदी सं. 2074—77 के खाता सं. 1, 29, 169, 274, खाता सं. 214 की जमाबंदी सं. 2074—77, नामा.सं. 946 दिनांक 17.07.2020 की प्रतिलिपी, रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 10.06.2020 की प्रतिलिपी, ऑनलाईन खसरा नक्शा दिनांक 19.05.2025 एवं लटठा नक्शा ट्रेस दिनांक 06.06.2025 की सत्यप्रतियां पेश की गई।

4. पेरोकार सरकार द्वारा अपने जवाब के समर्थन में पटवारी हल्का सरखेडी की रिपोर्ट मय नजरी नक्शा, ग्राम बोलियाबारी की जमाबंदी सं. 2074—77 के खाता सं. 29, खसरा नक्शा दिनांक 11.07.2025 पेश किया।

5. अभिभाषक प्रार्थी व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम बोलियाबारी तहसील पिड़ावा की प्रार्थी की आराजी खसरा नं. 547/308 रकबा 0.5059 हैक्ट0 भूमि लट्ठा नक्शा अनुसार खसरा नं0 307 के उत्तर पूर्व में लगवा तथा खसरा नं0 482/306 के लगवा दक्षिण में स्थित थी और प्रार्थी मौके पर भी इसी अनुसार वर्षो से काबिज काश्त चला आ रहा है। लेकिन तहसील पिड़ावा को ऑनलाईन करते समय राजस्व कार्मिकों द्वारा सेग्रीगेशन के दौरान बिना किसी सक्षम आदेश के एवं मौका स्थिति देखे बिना प्रार्थी की आराजी खसरा नं. 547/308 की तरमीम खसरा नं. 307 से दूर खसरा नं. 308 के पूर्व मे और खसरा नं. 495/308 के दक्षिण में कर दी गई जो कि पूर्णतः गलत व अवैध है। अभिभाषक प्रार्थी ने आगे तर्क किया की पैरोकार सरकार तहसीलदार पिड़ावा ने भी अपनी रिपोर्ट मे उक्त त्रुटी को स्वीकार किया है। राजस्व कार्मिकों द्वारा प्रार्थी की भूमि के राजस्व नक्शे मे की गई उक्त गलत तरमीम को दुरुस्त किया जावे।

6. पैरोकार सरकार द्वारा उपस्थित होकर अपने जवाब के बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया है कि प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त ... के जरिये रजिस्टर्ड विकयपत्र नारायण जाति कुम्हार से क्रय की थी। नारायण कुम्हार ने वादग्रस्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 14:01:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

भूमि ख.नं. 574/308 मूल खातेदार कैलाशबाई पत्नि सोदानसिंह राजपूत से क्रय की गई थी जो उन्हे मूल सरकारी खसरा नं 308 मे से दिनांक 24.11.1975 को आवंटन हुई थी और जरिये नामान्तरण संख्या 36 से गैर खातेदारी दर्ज हुई थी। आगे तर्क किया कि उक्त नामान्तरण सं. 36 की पंजिका के पृष्ठ भाग पर या पुष्ठ भाग पर कोई नजरी नक्शा नहीं बना हुआ है। ग्राम बोलियाबारी के लट्ठा नक्शा में प्रार्थी की आराजी खसरा नं. 547/308 की पेंसिल से अस्पष्ट तरमीम खसरा नं. 482/306 के दक्षिण मे कर रखी है। लटठा नक्शा में लाल पेन से तरमीम नहीं हो रखी है। मौका निरीक्षण करने पर पाया है कि प्रार्थी खसरा नं. 482/308 के ठीक दक्षिण मे करीब 1 बीघा भूमि काश्त कर रहा है जबकि शेष 1 बीघा भूमि पडत पडी हुई है। प्रार्थी 02 बीघा मे से केवल 01 बीघा भूमि पर ही कब्जाकाश्त है।

7. अभिभाषक प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार की बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम बोलियाबारी तहसील पिड़ावा की वादग्रस्त आराजी खसरानं 547/308 रकबा 02 बीघा यानी 0.5059 हैक्ट0 प्रार्थी के खाते दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी मध्यप्रदेश निवासी है और वादग्रस्त भूमि जरिये रजिस्ट्री क्रय की गई है। पेरोकार सरकार के अनुसार मूल सरकारी ख.नं. 308 में से आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 24.11.1975 को कैलाशबाई को 2–00 बीघा भूमि आवंटन हुई थी जो बाद में जरिये नामान्तरण संख्या 36 से गैर खातेदारी दर्ज हुई। ख.नं. 482/306 रकबा 1.2646 है. में प्रार्थी वीरेन्द्रसिंह के खाते दर्ज रिकार्ड है इसके लगवा दक्षिण में उक्त क्रयशुदा करीब 1–00 बीघा भूमि पर और कब्जा है। तहसीलदार पिडावा की रिपोर्ट दिनांक 11.07.2025 एवं हल्का पटवारी द्वारा जारी लटठा नक्शा की नकल दिनांक 21.05.2025 के अवलोकन से स्पष्ट है कि लटा नक्शा में ख.नं. 547/308 की ना तो लाल स्याही से कोई तरमीम हो रखी है और ना ही आवंटन नामा.सं. 36 की पंजिका पर कोई नक्शा बना हुआ है। लटठा नक्शा में ख.नं. 482/306 के दक्षिण पूर्व में व ख.नं. 308 के उत्तर में ख.नं. 547/308 की पेंसिल से अस्पष्ट तरमीम हो रखी है और इसी जगह पर केवल 1–00 बीघा भूमि पर प्रार्थी का कब्जा है। प्रार्थी द्वारा पेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 14:01:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

जिसके अनुसार ही ऑनलाईन नक्शे में तरमीम किया जाना आवश्यक है।

Scanned with OKEN Scanner

सेग्रिगेशन के आनलाईन नक्शे में ख.नं. 547/308 की तरमीम ख.नं. 482/306 के दक्षिण पूर्व में व ख.नं. 308 के पूर्व में तथा ख.नं. 495/308 के लगवा दक्षिण में हो रखी है जो ना तो मौके पर कब्जे काश्त के अनुसार है और ना ही लटठा नक्शा में पंसिल से हो रखी अस्पष्ट तरमीम के अनुसार है। तहसील को आनलाईन करते समय सेग्रिगेशन के दौरान तहसील पिडावा के राजस्व कार्मिको द्वारा आनलाईन नक्शे में उक्त तरमीम किस आधार/आदेश से की गई, इसका कोई भी साक्ष्य तहसीलदार पिडावा द्वारा पेश नहीं किया गया है जिससे जाहिर होता है कि उक्त तरमीम बिना किसी दस्तावेज या आदेश या मौका निरीक्षण के विधि विरूद्ध से की गई है।

8. राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128, 131, व 136 के अनुसार भू–सर्वे एवं रिकार्ड ऑपेरेशन की कार्यवाही समाप्त होने के बाद नक्शे एवं फिल्ड बुक में किसी गांव या गांव के हिस्से की सीमाओं, ऐस्टेट या फिल्ड/खसरे की सीमाओं में ज्ञात होने वाली किसी त्रृटि को या राजस्व रिकार्ड के निरीक्षण के दौरान ज्ञात किसी भी प्रकार की त्रृटि को लेण्ड रिकार्ड ऑफिसर द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत दुरूस्त किया जाता सकता है और ऐसे प्रत्येक परिवर्तन का इन्द्राज वार्षिक रजिस्टर में किया जावेगा। राजस्व रिकार्ड में भू प्रबन्धन एवं सर्वे की कार्यवाही के दौरान, सेग्रीगेशन के दौरान, नामा0 तस्दीक करते समय, फर्द–बदर/चौसाला तैयार करते समय राजस्व कार्मिकों द्वारा मूल प्रविष्टि में की गई लिपिकीय त्रृटि या रेकार्ड के निरीक्षण के दौरान भू अभिलेख अधिकारी को ज्ञात त्रृटि को धारा 136 एलआरएक्ट के अधीन भू अभिलेख अधिकारी द्वारा दुरूस्त किया जा सकता है। हस्तगत प्रकरण में ग्राम बोलियाबारी के मूल ख.नं. 308 में से आवंटित भूमि हाल ख.नं. 547/308 रकबा 0.5059 है. के राजस्व नक्शे में की गई तरमीम त्रुटीपूर्ण है जिसे धारा 131 एलआरएक्ट के अधीन दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है। धारा 131 एलआरएक्ट के प्रावधान निम्नानुसार है :–

131. Maintenance of Map and Field Book – After survey and record operations are over, the map and the field book shall be maintained by the

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 14:01:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Land Records Officer, in accordance with the rules made by the State Government in that behalf and he shall cause, annually or at such longer intervals as the State Government may prescribe, to be recorded therein all changes in the boundaries of each village or portion of a village, estate or field and shall correct any errors which are shown to have been made in such map or field book.

9. उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर ग्राम बोलियाबारी तहसील पिडावा की कृषि आराजी ख.नं. 547/308 के संबंध में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 एल.आर.एक्ट आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

10. परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 एल.आर.एक्ट बावत दुरूस्ती तरमीम आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। ग्राम बोलियाबारी तहसील पिडावा की कृषि आराजी ख.न. 547/308 के राजस्व नक्शे में मौके पर कब्जे काश्त की स्थिति, मूल आवंटी की कब्जे काश्त की स्थिति एवं लटठा नक्शा में पेंसिल से हो रखी अस्पष्ट तरमीम को ध्यान में रखते हुए तरमीम दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार पिडावा उक्तानुसार राजस्व नक्शा में दुरूस्ती करे।

यह निर्णय आज दिनांक 20.04.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

20/4/26

(दिनेश कुमार मीणा, आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी पिडावा
जिला झालावाड़ राज0

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज0)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 14:01:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner